ए.

श्री नरेंद्र कुमार ए. बालदोता बनाम

कर्नाटक राज्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 429) 14 मार्च, 2022

[इंदिरा बनर्जी और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 482-कार्यवाहियों को रद्द करना-एम कंपनी जिसमें अपीलार्थी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है, ने एक कार का आयात किया जिसके लिए सीमा शुल्क और सड़क कर का भुगतान किया गया था-इसके बाद, उक्त वाहन के संबंध में अंतर मोटर वाहन कर की मांग की गई और उसी का भुगतान किया गया, और कोई देय प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया-अपीलार्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई कि उसने सड़क कर के भुगतान से बचने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के साथ साजिश रची-कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःआपराधिक कानून को निश्चित रूप से एक मामले के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है-एक आपराधिक मामले में एक आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है-समन करने से पहले, मजिस्ट्रेट को किसी कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या अधिकारी के खिलाफ अपनी क्षमता में प्रथम दृष्टया मामले में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होती है-तथ्यों पर, इस बात की कोई कानाफूसी नहीं है कि अपीलकर्ता ने किसी भी अपराध के लिए कैसे और किस तरह से उकसाया-एम कंपनी द्वारा आयातित वाहन के संबंध में प्रस्तुत कोई दस्तावेज नकली या मनगढ़ंत नहीं है-लोकायुक्ता पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के साथ पढ़ी गई प्राथमिकी में आरोप केवल सड़क कर के कम भुगतान का खुलासा करते हैं-राजस्व की स्थिति को धोखा देने के लिए मिलीभगत और साजिश का केवल एक अस्पष्ट, गंजा आरोप है, जो किएसएस।13(1)(ग), 13 (1) (घ), 13 (2)-दंड संहिता-एस. एस.120 बी और 420।

जी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** अपीलार्थी निगमित निकाय का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होता है**,** जिसने विचाराधीन वाहन खरीदा था।विशिष्ट ए के आरोप पत्र में कोई फुसफुसाहट नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा निभाई गई भूमिका या उसने धोखाधड़ी का अपराध कैसे किया।**[**पैरा **24] [980-**ई**-**एफ**]**

1.2.आपराधिक कानून को निश्चित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।आपराधिक मामले में किसी आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है।आपराधिक कानून को लागू करने के लिए**,** अभियुक्त को समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाया है।मजिस्ट्रेट द्वारा कंपनी के अध्यक्ष**,** प्रबंध निदेशक**,** निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को समन जारी करने से पहले**,** मजिस्ट्रेट को किसी कंपनी के अध्यक्ष**,** प्रबंध निदेशक या अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी क्षमता में उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होती है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कंपनी के किसी भी अधिकारी को कंपनी के खिलाफ कथित अपराध के संबंध में किसी विशिष्ट भूमिका के बिना केवल कंपनी के अधिकारी के रूप में आपराधिक कार्यवाही में नहीं घसीटा जा सकता है।**[**पैरा **25] [980-**एफ**-**एच**; 981-**ए**]**

1.3.प्रति कर का कम भुगतान एक आपराधिक अपराध नहीं है।उच्च न्यायालय आम तौर पर धारा **482 Cr.P.C** के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा**,** यदि एफ**.** आई**.** आर**.** में लगाए गए आरोप पूरी तरह से सही माने जाते हैं**,** तो कोई अपराध नहीं बनता है।जब एफ**.** आई**.** आर**.** में लगाए गए आरोप या अनुसंधान के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के तत्वों को संतुष्ट नहीं करते हैं**,** तो उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय में किसी व्यक्ति के उत्पीड़न को प्रोत्साहित नहीं करेंगे।**[**पैरा **29] [984-**बी**-**सी**]**

देवेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 7 एस. सी. सी. 495:[2009] (7) एस. सी. आर. 872-संदर्भित।

1.4.तत्काल मामले में**,** लोकायुक्ता पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के साथ पढ़ी गई एफ**.** आई**.** आर**.** में आरोप केवल सड़क कर के कम भुगतान का खुलासा करते हैं।राज्य के राजस्व

को धोखा देने के लिए मिलीभगत और साजिश का केवल एक अस्पष्ट, गंजा आरोप है, जो किसी भी भौतिक विवरण से रहित है।[पैरा **32] [985-**डी-ई]

जी.

1.5.अपीलार्थी ने किसी भी अन्य अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर सवाल नहीं उठाया है।कार की तस्करी या जाली या जाली दस्तावेज बनाने या ए करने में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही को रोकने का उनका कोई इरादा नहीं है।

एच.

971

श्री नरेंद्र कुमार ए. बालदोता बनाम कर्नाटक राज्य ए.

कोई अन्य अवैध गतिविधियाँ।उन्होंने कंपनी, जिसके वे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, के स्वामित्व वाले वाहन के संबंध में सड़क कर के कथित कम भुगतान के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की वैधता पर सवाल उठाया है, भले ही कंपनी द्वारा कथित घाटे वाले सड़क कर का भुगतान मांग नोटिस जारी होने के एक महीने के भीतर किया गया था।[पैरा **37] [987-**सी-डी]

1.6.अपीलार्थी ने किसी भी अपराध के लिए कैसे और किस तरह से उकसाया है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।यह किसी का मामला नहीं है कि मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड द्वारा आयातित वाहन के संबंध में प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज नकली या मनगढ़ंत है।जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, वह आरोप नहीं है।यह पता चलता है कि कुछ कारों के मामले में, मालिकों ने कारखाने में बिक्री दरों को कार का मूल्य घोषित किया था, न कि सड़क मूल्य जो कारखाने के मूल्य का लगभग तीन गुना होगा।[पैरा **38] [987-**ई-एफ]

1.7 केवल यह तथ्य कि मांग नोटिस जारी किया गया हो सकता है और निजी शिकायत की स्थापना से पहले अलग-अलग कर का भुगतान किया गया हो, महत्वहीन है।या तो आरोप राज्य के राजस्व को धोखा देने के अपराध का खुलासा करते हैं या राज्य के राजस्व को धोखा देने के अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।सवाल यह है कि क्या अभिलेख की सामग्री इन अपीलार्थीगण की ओर से किसी आपराधिक कृत्य का खुलासा करती है।इसका जवाब नकारात्मक ही हो सकता है।[पैरा **42] [988-**डी-ई]

1.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी ने कार के वास्तविक चालान मूल्य के आधार पर मोटर वाहन प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए पूर्ण सड़क कर का भुगतान किया था।आगे कोई राशि देय नहीं थी।हालांकि**,** जब आरटीओ ने रुपये की मांग का नोटिस उठाया। **2012** में कंपनी ने कोई विवाद नहीं उठाया क्योंकि दावा की गई राशि कंपनी के लिए एक छोटी राशि थी**,** जिसका कारोबार करोड़ों रुपये का था।**[**पैरा **44] [988-**जी**-**एच**]**

1.9 अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही गलत धारणा वाली**,** परेशान करने वाली**,** कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाली है और बिना विवेक के उचित प्रयोग के शुरू की गई है। निचली अदालत में अपीलार्थीगण के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।**[**पैरा **45] [989-**ए**]**

जी.

एच.

एस**.** वी**.** नंदराजू और अन्य लिखित याचिका संख्या **41103 /**

2016 (जी. एम.-आर. ई. एस.) दिनांक 19 दिसंबर, 2019; एस.

राजेन्द्रन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य आपराधिक

2018 की याचिका संख्या 3087; के. जे. क्रुरूविला बनाम कर्नाटक राज्य और एक अन्य आपराधिक याचिका संख्या 344

2017; रवींद्रनाथ बाजपेयी बनाम मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड और अन्य **2021** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 806;** मकसूद सैयद बनाम गुजरात राज्य **(2008) 5**

एससीसी 668:[2007] (9) एस. सी. आर. 1113; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) पूरक (1) एस. सी. सी. 335:[1990] (3) पूरक।

एससीआर **259;** जी**.** सागर सूरी और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और

अन्य (2000) 2 एस. सी. सी. 636:[2000] (1) एस. सी. आर. 417; जोसेफ

साल्वराज ए**.** वी**.**गुजरात राज्य और अन्य **(2011) 7**

एससीसी **59:[2011] (8)** एस**.** सी**.** आर**. 815-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2007] (9) एससीआर **1113**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

[1990] (3) पूरक।पैरा **28 [2009] (7)** एस**.** सी**.** आर**. 872** पैरा **29 [2000] (1)** एस**.** सी**.** आर**. 417** पैरा **30 [2011] (8)** एस**.** सी**.** आर**. 815** पैरा **31**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 429।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.10.2021 से, 2017 की आपराधिक याचिका No.100167 में धारवाड़ पीठ।मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, महेश अग्रवाल, एम. एस. अनंत, अंशुमन श्रीवास्तव, रोहन तलवार, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी**,** जे**.**

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ द्वारा ए को खारिज करते हुए 22 अक्टूबर 2021 के एक आदेश के खिलाफ है।

एच.

973

श्री नरेंद्र कुमार ए. बालदोता बनाम कर्नाटक राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

दंड प्रक्रिया संहिता ("<ID2".) की धारा 482 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर 2017 की आपराधिक याचिका, जिसमें अपराध में अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है, बेल्लारी को बाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद "पी.

सी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (1) (सी) और 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) और भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 120 बी और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विशेष मामले के रूप में गिना गया।

3. अपीलार्थी मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होता है। 2010 में, एम. एस. पी. एल. लिमिटेड ने एक एस्टन मार्टिन रैपिड कार का आयात किया जिसके लिए कंपनी ने लागू सीमा शुल्क का भुगतान किया।कंपनी ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आर. टी. ओ.), होसापेट को भी सड़क कर का भुगतान किया।

4. जगदीश बी. एन., अधिवक्ता ने 23 वें अतिरिक्त शहर सिविल सत्र न्यायाधीश, बैंगलोर शहर और विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बैंगलोर शहरी जिला, बैंगलोर शहर की अदालत में एक निजी शिकायत दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि कर्नाटक में आर. टी. ओ. के बीच मिलीभगत और साजिश थी जिसके परिणामस्वरूप उचित सड़क कर एकत्र नहीं किया जा रहा था।यह आरोप लगाया गया था कि कर्नाटक में कारों का आयात किया जा रहा था, जिसके लिए आरटीओ वास्तविक लागत के अनुसार सड़क कर नहीं ले रहा था।5. 7 अगस्त 2012 के एक आदेश द्वारा, XXIII अतिरिक्त शहर नागरिक और विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बेंगलुरु की अदालत ने मामले की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए चार पुलिस उपाधीक्षकों की एक टीम गठित करने के निर्देश के साथ Cr.P.C की धारा 156 (3) के तहत शिकायत को पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्ता, बेंगलुरु शहरी को संदर्भित करते हुए एक आदेश पारित किया।14 अगस्त 2012 को, शिकायत के संबंध में एफ. आई. आर. लोकायुक्ता पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु, अर्बन में दर्ज की गई थी और एक आपराधिक मामला क्राइम No.69/2012 शुरू किया गया था।6. 23 वें अतिरिक्त नगर सिविल सत्र न्यायाधीश, बैंगलोर शहर और विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बैंगलोर शहरी जिला, बैंगलोर शहर के 7 अगस्त 2012 के आदेश में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां और/या निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

जी.

“यह शिकायत Cr.P.C की धारा 200 के तहत 06.08.2012 पर वादी श्री जगदीश बी. एन., अधिवक्ता और वादी का दावा है कि आयातित कारों, विशेष रूप से बेंटले और फेरारी कारों के संबंध में एक बड़ा घोटाला हुआ है।

...

5. शिकायत में दावा किया गया है कि भारत में आयात की जाने वाली विदेशी कारों, विशेष रूप से बेंटले और फेरारी के पंजीकरण के संबंध में भारी घोटाला हुआ है।वादी का दावा है कि देश भर के वाहन विक्रेताओं, बिचौलियों, तस्करों और मैंगलोर में आयातित वाहन के मालिकों ने गलत उद्धरण दिया है और बेंटले और फेरारी कार की कीमत एकत्र की है, पंजीकरण के साथ आए हैं, और इस प्रक्रिया में कारों के ब्रांड नामों को दबाने में भी कामयाब रहे हैं।वादी का दावा है कि वह उन तथ्यों को प्राप्त करने में असमर्थ है जिन्हें छिपाया गया है और उच्च सार्वजनिक समारोहों में दफनाया गया है और यह केवल एक अधिकृत जांच एजेंसी है जो पंजीकरण में धोखाधड़ी के संबंध में हुई धोखाधड़ी का पता लगा सकती है।

6. वादी का दावा है कि एक कर निवेश ने कथित तस्करी अभियान का खुलासा करने के बाद, अति-धनी लोगों के घबराए हुए सदस्यों ने नई दिल्ली की सड़कों पर बेंटलिस और एस्टोरिया मार्टिन्स सहित कारों को छोड़कर गिरफ्तारी से बचने के लिए हाथापाई की है और इसकी सूचना दी जाती है और एक प्रति तस्वीर उपलब्ध कराई जाती है।वादी का दावा है कि उक्त दस्तावेज़ इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है।

7. वादी का दावा है कि 500 से अधिक कारों ने भारत में प्रवेश किया है और अधिकांश अवैध या अवैध साधन हैं और सामान्य कार पंजीकृत करने के लिए इसे राशि का 18 प्रतिशत कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।वादी का दावा है कि पासपोर्ट प्राधिकरणों में एक कार पंजीकृत कराने के लिए, और मोटर वाहन अधिनियम द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया निर्धारित की गई है, विशेष रूप से 10 प्रतिशत सीमा शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए था।

8. शिकायत में आगे दावा किया गया है कि कर्नाटक में प्रवेश की गई कम से कम 500 कारों और नाम के लिए 4 से 5 कारों का उल्लेख बेंटले के रूप में किया गया था और शेष कारों को ब्रांड नाम को दबाकर पंजीकृत किया गया है और 98 प्रतिशत से अधिक को चालान के आधार पर पंजीकृत किया गया है न कि नकद बिल के आधार पर।

...

11. वादी ने आगे दावा किया कि बेंटले कार की निर्माण दर बुनियादी मॉडल और कार के लिए 1.16 करोड़ है जो बुनियादी मॉडल से लेकर शीर्ष ए तक बैंगलोर रेंज में प्रवेश कर चुके हैं।

एच.

975

श्री नरेंद्र कुमार ए. बालदोता बनाम कर्नाटक राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

अंत।फैक्टरी ऑर्डर पर बिक्री दर **86,000** पाउंड यानी रु**. 1,16,00,000/-** है और सड़क पर बेंटले कार का मूल्य एक कार के लिए **3** करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा और यदि औपचारिकताओं का ठीक से पालन किया जाता है।वादी ने आगे दावा किया कि टॉप एंड मॉडल **6** करोड़ रुपये से अधिक का होगा।

12. वादी का यह भी दावा है कि रैकेट असाधारण प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के साथ किया जाता है और यह आने के लिए उकसाता है और लोक सेवक को उनकी कार का पंजीकरण कराने में भी प्रभावित करता है और जब तक उचित अनुसंधान एजेंसी निष्पक्ष, समान और व्यापक अनुसंधान नहीं करती है, तब तक धोखाधड़ी का पता नहीं चल सकता है।

13. वादी आगे दावा करता है कि असाइनमेंट प्राप्त करने के बाद बैंगलोर में अपनी पहचान का खुलासा नहीं करने वाले अधिकांश डीलरों ने केवल दस्तावेजों के आधार पर चालान किया है जो पूरी तरह से समझाया नहीं गया है और चतुराई से नकद रसीद दिए जाने से बचा है, क्योंकि अधिकांश अधिकृत डीलर वाहन के साथ सौदा करने के हकदार नहीं हैं।

.....

20. वादी का दावा है कि आरोपी व्यक्ति निजी व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ संज्ञान लेने के लिए कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, वादी मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है कि आरोपी व्यक्तियों ने अपराध करने के लिए लोक सेवकों को उकसाया और प्रभावित किया है और अनुसंधान एजेंसी को विभिन्न स्तरों पर और कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में संबंधित परिवहन प्राधिकरण के साथ मौखिक रूप से निश्चित तस्वीर मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से बैंगलोर में क्योंकि कारें बैंगलोर से चली गईं और दस्तावेजों की मनगढ़ंत और जालसाजी बैंगलोर में हुई, इसके अलावा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए उकसाने (एस.

आई. सी.) के अलावा वादी आगे दावा करता है कि स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पूर्ण पैमाने पर अनुसंधान की आवश्यकता है।

जी.

.....

24. वादी ने आगे मौखिक रूप से प्रस्तुत किया कि, भारत में परिवहन प्राधिकरण में और उसके बाद कर्नाटक में बैंगलोर के माध्यम से कुछ वाहनों को ले जाने वाले दस्तावेजों के साथ पंजीकृत किया गया था, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और उसके बाद वे परिवहन प्राधिकरण से दूर चले जाते हैं।

एच.

976 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

विभिन्न भागों में आवेदन किया जाएगा और यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पंजीकरण के लिए दस्तावेज आवश्यक हैं और एक पंजीकरण आर. टी. ओ. द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है उस स्थिति में मोटर वाहनों की उपस्थिति से संबंधित नकली और वास्तविक कागजातों के बीच का अंतर गायब हो जाता है।...

28. वादी का दावा है कि आरोपी व्यक्ति जो बैंगलोर, अन्य स्थानों में विक्रेता, वितरक हैं, उन्होंने जाली दस्तावेज बनाए हैं और लोक सेवकों (परिवहन प्राधिकरणों) को सफलतापूर्वक निरस्त कर दिया है और उक्त वाहनों का पंजीकरण अवैध रूप से प्राप्त कर लिया है और इसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है और इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सरकारी जनता को धोखा दिया है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि घोटाले के पीछे 'नेट वर्क' के रूप में माफिया है।

.....

31. प्रकोष्ठ में मामले के सभी संदर्भ और परिस्थितियों में और इस स्तर पर वादी की शिकायत और शिकायत की सामग्री को दर्ज करने के बाद मेरा ईमानदार विचार है कि क्या यह उचित और उचित है कि पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्ता बैंगलोर शहरी द्वारा चार डिप्टी कमिश्नरों की एक टीम का गठन करके केवल एक व्यापक अनुसंधान की आवश्यकता है।

एसपी और उन्हें मामले की अनुसंधान करने और रिपोर्ट करने के लिए सौंपें।इसलिए मैं निम्नलिखित को पारित करने के लिए आगे बढ़ता हूं:

आदेश

शिकायत को पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्ता, बैंगलोर शहरी को Cr.P.C की धारा 156 (3) के तहत भेजा जाता है। एस. पी. मामले की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए।“

7. अपीलार्थी न तो वाहन विक्रेता है और न ही बिचौलिया और न ही तस्कर।वह विचाराधीन वाहन का मालिक भी नहीं है, बल्कि केवल मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड का अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक है, वह कंपनी जिसने वाहन का आयात किया है और उसे पंजीकृत कराया है।न तो अपीलार्थी और न ही उस कंपनी ने जिसका अपीलार्थी प्रबंध निदेशक है, किसी भी वाहन को नहीं छोड़ा है।

जी.

8. 27 फरवरी 2013 को, आर. टी. ओ., होसापेटे ने मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें ए. के अंतर मोटर वाहन कर की मांग की गई।

एच.

977

श्री नरेंद्र कुमार ए. बालदोता बनाम कर्नाटक राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

विचाराधीन वाहन के संबंध में Rs.20,44,468/-।मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड ने तुरंत मांग का पालन किया और 20 मार्च 2013 को 44,468/- की मांगी गई राशि का पूरा भुगतान किया, जिसके बाद आर. टी. ओ., होसापेटे ने मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड को "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" जारी किया।

9. 2 नवंबर 2015 को, लोकायुक्ता पुलिस ने आरटीओ, बेल्लारी को 13 अक्टूबर 2015 को एक नोटिस जारी किया।2 नवंबर 2015 के एक पत्र द्वारा, आर. टी. ओ. ने लोकायुक्ता पुलिस को सूचित किया कि मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड ने पूरे घाटे वाले कर का भुगतान कर दिया है।

10. 8 दिसंबर 2015 को, लोकायुक्ता पुलिस ने पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (सी), 13 (1) (डी) और 13 (2) और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 120 बी

और 420 के तहत अपराध संख्या 69/2012 होने के उपरोक्त मामले में एक जांच रिपोर्ट-सह-आरोप पत्र दायर किया।

11. आरोप-पत्र में, यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने श्री के. पंपापति, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, होसापेटे और श्री शनमुख नाइक अधीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, होसापेटे के कार्यालय के साथ सड़क कर के लिए 44,468/- की राशि के भुगतान से बचने की साजिश रची थी।

12. लोकायुक्ता पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार, अपीलार्थी और अन्य के खिलाफ, 2016 का विशेष मामला संख्या 4 होसापेटे में बैठे तीसरे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, बेल्लारी की अदालत में शुरू किया गया था।

13. 4 नवंबर 2016 के एक आदेश द्वारा, विशेष मामला संख्या 4/2016 में, होसापेट में बैठे विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, बेल्लारी ने संज्ञान लिया और अपीलार्थी को समन जारी किया।14. इसके बाद, अपीलार्थी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ के समक्ष 2017 की आपराधिक याचिका दायर की, जिसमें अनुरोध किया गया कि होसापेटे में बैठे तीसरे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, बेल्लारी की फाइल पर विशेष मामले की कार्यवाही को अपीलार्थी के खिलाफ रद्द कर दिया जाए।

15. कर्नाटक मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1957 की धारा 8 ए निम्नलिखित प्रावधान करती हैः-

जी.

“8A. कर से बचने वाले भुगतान का संग्रह।- अगर किसी भी समय

यह पाया गया कि किसी भी मोटर वाहन के संबंध में किसी भी अवधि के लिए भुगतान की गई कर की राशि इस अधिनियम के तहत देय कर से कम है, फिर, किसी भी गलत प्रविष्टि या पंजीकरण के प्रमाण पत्र में किसी भी प्रविष्टि के अभाव के बावजूद

एच.

ऐसे वाहन के संबंध में देय कर के संबंध में मोटर वाहन या कराधान कार्ड जारी करने या ऐसी अवधि के लिए कर के भुगतान के संबंध में ऐसे कराधान कार्ड में की गई प्रविष्टि के संबंध में,

कराधान प्राधिकरण, मोटर वाहन के कब्जे या नियंत्रण वाले पंजीकृत मालिक या व्यक्ति को नोटिस के बाद और उसे इस तरह से भुगतान किए गए कर और ऐसे मालिक या व्यक्ति द्वारा देय कर के बीच के अंतर की वसूली करने का अवसर दे सकता है।

16. उक्त याचिका में, अपीलार्थी ने बताया कि कर्नाटक मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1957 की धारा 8 ए के तहत वाहन के मालिक से सड़क कर, यदि कोई हो, में संक्षिप्त संग्रह एकत्र किया जा सकता है।मांग सूचना प्राप्त होने पर, मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड, विचाराधीन वाहन के मालिक ने अंतर कर का भुगतान किया था।मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड ने पूरा सड़क कर जमा कर दिया था।

17. 14 फरवरी 2017 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।अंतरिम आदेश को समय-समय पर बढ़ाया गया था।

18. इस न्यायालय में 22 अक्टूबर 2021 के निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 2017 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को CRL.P No.100167 होने के कारण खारिज कर दिया।

19. यह अपीलार्थी का मामला है कि 19 दिसंबर 2019 को कर्नाटक उच्च न्यायालय की बेंगलुरु पीठ ने एक एस. वी. नंदराजू और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका/आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी, जिसे रिट याचिका No.41103/2016 (जी. एम.-आर. ई. एस.) कहा गया था और उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो वर्तमान मामले के समान आरोप पत्र से उत्पन्न हुई थी।उच्च न्यायालय ने कहाः-

“23. मामले के उस दृष्टिकोण में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वर्तमान मामलों में घटनाओं की घटना और कार्रवाई के कारण का संचय वर्ष 2003 और 2006 के बीच था। Cr.P.C की धारा 200 के तहत निजी शिकायत 06.08.2012 पर दर्ज की गई थी, जबकि 14.08.2012 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।यह एक स्वीकृत तथ्य है कि Crl.P.No.5130/2016 में याचिकाकर्ता संख्या 6 और 7 को छोड़कर, जो क्रमशः वर्ष 2013 और 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे, अन्य याचिकाकर्ता पहले ही वर्ष 2006-2007 में सेवानिवृत्त हो चुके थे।कुछ ए

जी.

याचिकाकर्ता सेवा करना जारी रखते हैं।हालांकि, जैसा कि पहले देखा गया है, राज्य सरकार ने सेवारत कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। सरकारी आदेश में यह भी देखा गया कि दो कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे और इसलिए राज्य सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

अभियोजन को मंजूरी दें।इसके अलावा**,** राज्य सरकार ने कराधान अधिनियम की धारा बी **(**ए**)** की ओर इशारा करते हुए कहा था कि यदि कर का संग्रह कम होता है**,** तो अंतर वाहनों के मालिकों से एकत्र किया जा सकता है।यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वाहनों के मालिकों को अंतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था और उनके द्वारा इसका भुगतान किया गया है।नतीजतन**,** इस अदालत ने वाहनों के मालिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।इसके अलावा**,**

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, चूंकि कराधान अधिनियम की धारा 21 सद्भावना से कार्य करने वाले अधिकारियों की रक्षा करती है, और चूंकि राज्य सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी को अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए वही लाभ याचिकाकर्ताओं को दिया जाना आवश्यक है जिन्हें समान रूप से रखा गया है।कुछ याचिकाकर्ताओं को सरकार द्वारा पारित आदेश का लाभ पहले ही मिल चुका है।"

20. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने इस न्यायालय का ध्यान 26 सितंबर 2019 को कर्नाटक उच्च न्यायालय की बेंगलुरु पीठ द्वारा 2018 की आपराधिक याचिका एस. राजेंद्रन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में पारित एक आदेश और 11 दिसंबर 2019 को बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा आपराधिक मामले में पारित एक आदेश की ओर आकर्षित किया।

2017 की याचिका No.344 (के. जे. क्रुरूविला बनाम कर्नाटक राज्य और

एक और)।दोनों ही मामलों में आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति दी गई और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।21. एस. राजेंद्रन (सुप्रा) के

मामले में उन्होंने एक टोयोटा प्राडो वाहन खरीदा था, जिसे 3 नवंबर 2007 को पंजीकृत किया गया था।प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर निजी शिकायत के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज की गई और 28 नवंबर 2016 को आरोप पत्र दायर किया गया।इस बीच, 28 जुलाई 2010 को रुपये की राशि की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया गया था।सुनवाई के समय, 2017 की आपराधिक याचिका No.344 में याचिकाकर्ता ने उपरोक्त राशि के भुगतान को स्वीकार करते हुए एक रसीद प्रस्तुत की।इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र में कोई सामग्री संलग्न नहीं थी, एस. राजेंद्रन ने

2018 की आपराधिक याचिका No.3087, और निजी शिकायत दर्ज करने से पहले अंतर कर का भुगतान किया गया था, याचिका को अनुमति दी गई थी।

22. के. जे. कुरुविला (उपरोक्त) के मामले में, याचिकाकर्ता ने एक रेंज रोवर खरीदा था जिसे 30 मार्च 2007 को पंजीकृत किया गया था।पंजीकरण के समय, याचिकाकर्ता को जीवनकाल कर के लिए रुपये. 9,99,628 का भुगतान करने के लिए कहा गया था। बाद में वाहन को 11 मार्च 2011 को बेच दिया गया।इसके बाद, याचिकाकर्ता को Rs.19,045/- के अंतर कर का भुगतान करने के लिए कहा गया, जिसका भुगतान किया गया था।एस. राजेंद्रन (ऊपर) पर भरोसा करते हुए, के. जे. कुरुविला के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी रद्द कर दी गई।कर्नाटक मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1957 की धारा 8 ए के तहत याचिकाकर्ता को यह समझाने के लिए एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता है कि कर संग्रह में कमी कैसे हुई और उसके बाद याचिकाकर्ता को अंतर राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने की आवश्यकता है।

23. पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पूरी तरह से अस्पष्ट है और सामग्री विवरण से रहित है। आरोप पत्र में आरोप समान रूढ़िवादी आरोप थे।केवल पंजीकरण की तिथियाँ और घाटे की शुल्क राशि मामले-दर-मामले भिन्न होती थी।इस तरह के स्टीरियोटाइप चार्ज इस प्रकार हैः-

“कॉलम संख्या 4 में दिखाए गए वाहन के पंजीकरण के समय <ID1 पर, कॉलम संख्या 2 में दिखाए गए अधिकारियों के साथ शामिल हुए और Rs.20,44,468/- के घाटे शुल्क का भुगतान करके सरकार को राजस्व का नुकसान पहुँचाकर आपराधिक साजिश रची और इस तरह धोखाधड़ी का अपराध किया।”

24. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलकर्ता उस निगमित इकाई का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होता है, जिसने विचाराधीन वाहन खरीदा था।अपीलार्थी द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका या उसने धोखाधड़ी का अपराध कैसे किया, इस बारे में आरोप-पत्र में कोई कानाफूसी नहीं है।

25. आपराधिक कानून को निश्चित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।आपराधिक मामले में किसी आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है।आपराधिक कानून को लागू करने के लिए, अभियुक्त को समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाया है।मजिस्ट्रेट द्वारा कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को समन जारी करने से पहले, मजिस्ट्रेट को किसी कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी क्षमता में उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होती है।यह अच्छी तरह से तय है कि किसी कंपनी के किसी भी अधिकारी को आपराधिक ए में नहीं घसीटा जा सकता है।

जी.

एच.

981

श्री नरेंद्र कुमार ए. बालदोता बनाम कर्नाटक राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

कंपनी के खिलाफ कथित अपराध के संबंध में उसकी किसी विशिष्ट भूमिका के बिना, केवल कंपनी के अधिकारी के रूप में उसकी क्षमता में कार्यवाही।

26. रवींद्रनाथ बाजपेयी बनाम मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड और अन्य 1 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः-

“..... इन सभी को क्रमशः अध्यक्ष**,** प्रबंध निदेशक**,** उप महाप्रबंधक **(**सिविल और एन**.** वी**.),** योजनाकार और निष्पादक**,** अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के रूप में अभियुक्त के रूप में रखा गया है।इसलिए**,** किसी भी विशिष्ट आरोप और उनके लिए जिम्मेदार विशिष्ट

भूमिका के अभाव में, विद्वान मजिस्ट्रेट को आरोपी एन. ओ. एस. के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने में उचित नहीं ठहराया गया। भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **34** के साथ पठित धारा **427,447,506** और **120** बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए **1** से **8**।

26. जैसा कि इस न्यायालय ने पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम के मामले में कहा है।विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, (1998) 5 एस. सी. सी. 749 और उसके बाद भी निर्णयों के आधार पर किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त को तलब करना एक गंभीर मामला है।आपराधिक कानून को निश्चित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।पेप्सी फूड्स लिमिटेड (उपरोक्त) के पैराग्राफ 28 में, इसे निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया गया हैः

"28. आपराधिक मामले में किसी आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है। आपराधिक कानून को निश्चित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।ऐसा नहीं है कि वादी को आपराधिक कानून लागू करने के लिए शिकायत में अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए केवल दो गवाहों को लाना पड़ता है।अभियुक्त को समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है।उसे करना पड़ता है।

शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की जांच करें और क्या यह वादी के लिए अभियुक्त को आरोप सौंपने में सफल होने के लिए पर्याप्त होगा।ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को बुलाने से पहले प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करते समय मूक दर्शक होता है।मजिस्ट्रेट को अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है और

जी.

1 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 806

एच.

यहां तक कि स्वयं वादी और उसके गवाहों से भी सवाल कर सकते हैं ताकि आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जवाब प्राप्त किया जा सके या अन्यथा और फिर जांच की जा सके कि क्या कोई अपराध प्रथम दृष्टया सभी या किसी भी आरोपी द्वारा किया गया है।"

27. जैसा कि इस न्यायालय ने इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड **(**उपरोक्त**)** के मामले में अभिनिर्धारित किया है**,** समन जारी करने के आदेश में**,** विद्वान मजिस्ट्रेट को कंपनी के प्रबंध निदेशक**,** कंपनी सचिव और निदेशकों के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामले और उनके द्वारा अपनी**-**अपनी क्षमताओं में निभाई गई भूमिका के बारे में अपना संतोष दर्ज करना होगा**,** जो उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिवार्य है।

उन्हें।शिकायत में कथनों और आरोपों को देखते हुए, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, उप महाप्रबंधक और योजनाकार और निष्पादक के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में कोई विशिष्ट आरोप और/या कथन नहीं हैं।सिर्फ इसलिए कि

वे अध्यक्ष**,** प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक और/या ए **1** और ए **6** के उप महाप्रबंधक और/या योजनाकार/पर्यवेक्षक हैं**,** बिना किसी विशिष्ट भूमिका के और उनकी क्षमता में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के**,** उन्हें एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है**,** विशेष रूप से उन्हें ए **1** और ए **6** द्वारा किए गए अपराधों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।**”**

27. मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य **2** में**,** इस न्यायालय ने निर्णय दिया:**-**

“13. जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) या धारा 200 के संदर्भ में दायर शिकायत याचिका पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन करना आवश्यक है।

दिमाग।दंड संहिता में कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशकों की ओर से प्रत्यावर्ती दायित्व को संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं है जब आरोपी

कंपनी है।विद्वत मजिस्ट्रेट अपने सामने सही प्रश्न रखने में विफल रहे कि क्या शिकायत याचिका, भले ही अंकित मूल्य दी गई हो और पूरी तरह से सही मानी गई हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि यहाँ प्रत्यर्थीगण किसी भी अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी थे। बैंक एक है

जी.

निगमित निकाय।प्रबंध निदेशक का प्रत्यावर्ती दायित्व

2 (2008) 5 एससीसी 668 ए

श्री नरेंद्र कुमार ए. बालदोता बनाम कर्नाटक राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

और निदेशक उत्पन्न होगा बशर्ते कि इसमें कोई प्रावधान मौजूद हो।

कानून में पक्ष।विधानों में निर्विवाद रूप से ऐसी प्रत्यावर्ती देनदारियों को तय करने का प्रावधान होना चाहिए।यहां तक कि उक्त उद्देश्य के लिए भी, वादी की ओर से आवश्यक आरोप लगाना अनिवार्य है जो प्रत्यावर्ती दायित्व का गठन करने वाले प्रावधानों को आकर्षित करेगा।"

28. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल **3** में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः**-**

"102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों, जिन्हें हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और कठोर दिशानिर्देश या कठोर सूत्रों को निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप**,** भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो**,** प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

....

(3) जहां एफ**.** आई**.** आर**.** या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

....

(5) जहाँ एफ**.** आई**.** आर**.** या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

जी.

.....

3 (1992) सप्लीमेंट (1) एससीसी 335

एच.

(7) जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।**"**

29. प्रति कर का अल्प भुगतान एक आपराधिक अपराध नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय ने देवेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 4 में अभिनिर्धारित किया है।उच्च न्यायालय आम तौर पर आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा, यदि एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप पूरी तरह से सही माने जाते हैं, तो कोई अपराध नहीं बनता है।जब एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप या अनुसंधान के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के तत्वों को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय में किसी व्यक्ति के उत्पीड़न को प्रोत्साहित नहीं करेंगे।

30. जी**.** सागर सूरी और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **5** में**,**

भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420 के तहत एक कार्यवाही में निदेशक के दायित्व का फैसला करते हुए इस न्यायालय ने कहाः-

"8. संहिता की धारा **482** के तहत अधिकारिता का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए।अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को मामले की सतही जांच नहीं करनी है।यह देखा जाना चाहिए कि क्या किसी मामले को**,** जो अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति का है**,** आपराधिक अपराध का कवच दिया गया है।आपराधिक कार्यवाही

कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है।प्रक्रिया जारी करने से पहले एक आपराधिक अदालत को बहुत सावधानी बरतनी होती है।अभियुक्त के लिए यह एक गंभीर मामला है।इस न्यायालय ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर उच्च न्यायालय को संहिता की धारा **482** के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है।इस धारा के तहत अधिकारिता का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए।

...

14. हम अपीलार्थीगण की इस दलील से सहमत हैं कि वादी का पूरा प्रयास स्पष्ट रूप से परिवार के सभी सदस्यों को**,** विशेष रूप से उन लोगों को**,** जो गंगा ऑटोमोबाइल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के माता**-**पिता हैं**,** तत्काल आपराधिक मामले में उनकी भूमिका या भूमिका की परवाह किए बिना शामिल करना है।

जी.

4 (2009) 7 एससीसी 495 5 (2000) 2 एससीसी 636 ए

एच.

985

श्री नरेंद्र कुमार ए. बालदोता बनाम कर्नाटक राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

वित्त कंपनी को देय ऋण प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ कथित अपराधों में भागीदारी अपीलार्थीगण को आपराधिक अभियोजन के साथ धमकाकर और अत्याचार करके।ए**.**

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत अपीलार्थीगण और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ पहले से ही लंबित है।यदि उनके खिलाफ धारा 138 के तहत अपराध साबित होता है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।जो भी हो, वहाँ

वादी के लिए भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धाराओं **406/420** के तहत अपीलार्थीगण पर मुकदमा चलाने का कोई अवसर नहीं है और ऐसा करने में यह स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया और उनके खिलाफ अभियोजन का दुरुपयोग है।

उन अपराधों के लिए अपीलार्थीगण खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं**,** जो हम करते हैं।**”**

31. जोसेफ साल्वराज ए**.** वी**.**गुजरात राज्य और अन्य **6,** यह

अदालत ने कहा कि भले ही आरोप पत्र दायर किया गया हो, मजिस्ट्रेट अभी भी इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या अभियुक्त द्वारा किए गए कथित अपराध प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता की प्राथमिकी, आरोप पत्र, दस्तावेजों आदि से बने थे या नहीं।

32. तत्काल मामले में, लोकायुक्ता पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के साथ पढ़ी गई एफ. आई. आर. में आरोप केवल सड़क कर के कम भुगतान का खुलासा करते हैं।राज्य के राजस्व को धोखा देने के लिए मिलीभगत और साजिश का केवल एक अस्पष्ट, गंजा आरोप है, जो किसी भी भौतिक विवरण से रहित है।

33. अपीलार्थी ने आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की और प्रार्थना की कि जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, होसापेटे में बैठे तीसरे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, बेल्लारी की फाइल पर 2016 के विशेष मामले संख्या 4 में कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।

34. उक्त याचिका में अपीलार्थी ने तर्क दिया:-

(i) अपीलार्थी कंपनी, मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रभारी नहीं है;

((ii) अपीलार्थी ने वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

जी.

((ग) यद्यपि वाहन कंपनी के स्वामित्व में है और कंपनी के नाम पर पंजीकृत है, कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन केवल अपीलार्थी के खिलाफ;

एच.

6 (2011) 7 एससीसी 59

((iv) अनुसंधान के दौरान अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और अपीलार्थी या कंपनी को कोई अवसर नहीं दिया गया था।

(v) कंपनी मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड ने पूरी कर राशि का भुगतान किया था, जैसा कि 16 अगस्त, 2016 को आर. टी. ओ., होसापेट द्वारा जारी "बकाया नहीं प्रमाण पत्र" से स्पष्ट था।

(vi) अपीलार्थी ने कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया है, न ही कंपनी ने कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया है;

(vii) अपीलार्थी सड़क परिवहन के किसी भी अधिकारी से कभी नहीं मिला, अपीलार्थी से जुड़े षड्यंत्र का सवाल ही नहीं उठा।

35. अपीलार्थी दावा करता है कि वह अपने जीवनकाल में कभी भी किसी आपराधिक अपराध में शामिल नहीं रहा है।अपीलार्थी के गलत निहितार्थ से अपीलार्थी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा।आरोप-पत्र में अपीलार्थी के खिलाफ कहीं भी कोई सामग्री नहीं होने के कारण, अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही रद्द की जा सकती है।अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करना मनमाना, परेशान करने वाला और रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री द्वारा असमर्थित है।

36. उपर्युक्त दलीलों में से किसी पर भी उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है।उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कीः-

“14. अनुसंधान अधिकारी द्वारा दायर आरोप पत्र**,** जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है**,** को देखने पर यह पता चलता है कि अभियुक्त आई**.** डी**. 3** और **2** कर की चोरी में शामिल हैं और यह स्वीकार किया जाता है कि आई**.** डी**. 5** का अंतर कर**, 44,468/-** केवल आई**.** डी**. 1** पर आरोपी नंबर **2** से एकत्र किया गया था**,** जबकि आर**.** सी**.** को आई**.** डी**. 4** पर केवल आई**.** डी**. 2** का नाममात्र कर एकत्र करके जारी किया गया था।आरोप गंभीर प्रकृति का है और ये तथ्य विवादित नहीं हैं।ऐसी परिस्थितियों में**,** यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आरोपी **Nos.1** और **2** के खिलाफ बिना किसी आधार के आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी।का विवाद

जी.

अभियुक्त नं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वह वाहन का मूल्य नहीं जानता था और उसने अभियुक्त नं. 2 द्वारा घोषित मूल्य को स्वीकार किया और इसलिए उसने कर की कम राशि की मांग की, जिसे इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।इसी तरह, आरोपी नंबर 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि वह वाहन या कर ए के मूल्य को नहीं जानता था

एच.

987

श्री नरेंद्र कुमार ए. बालदोता बनाम कर्नाटक राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

और अभियुक्त संख्या 1 द्वारा जो भी कर मांगा गया था, वह उसके द्वारा भुगतान किया गया था और इसलिए, उसने कोई अपराध नहीं किया था, उसे भी इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।जब वर्तमान याचिकाकर्ताओं सहित विभिन्न अभियुक्तों के खिलाफ आयातित वाहनों के मूल्य को व्यवस्थित रूप से कम मूल्य पर दिखाने वाले कर की चोरी के संबंध में विशिष्ट आरोप लगाए जाते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता वर्तमान याचिकाओं में दावा की गई राहत के हकदार नहीं हैं और उन्हें आरोपों का जवाब देने और मुकदमे का सामना करने की आवश्यकता है।"

37. अपीलार्थी ने किसी भी अन्य अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर सवाल नहीं उठाया है।कार की तस्करी या जाली या जाली दस्तावेज बनाने या किसी अन्य अवैध गतिविधि में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही को रोकने का उनका कोई इरादा नहीं है।उन्होंने कंपनी, जिसके वे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, के स्वामित्व वाले वाहन के संबंध में सड़क कर के कथित कम भुगतान के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की वैधता पर सवाल उठाया है, भले ही कंपनी द्वारा कथित घाटे वाले सड़क कर का भुगतान मांग नोटिस जारी होने के एक महीने के भीतर किया गया था।

38. अपीलार्थी ने किसी भी अपराध के लिए कैसे और किस तरह से उकसाया है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।यह किसी का मामला नहीं है कि मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड द्वारा आयातित वाहन के संबंध में प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज नकली या मनगढ़ंत है। जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, वह आरोप नहीं है।7 अगस्त 2012 के आदेश के पैराग्राफ 11 से यह पता चलता है कि कुछ कारों के मामले में, मालिकों ने कारखाने में बिक्री दरों को कार का मूल्य घोषित किया था, न कि सड़क मूल्य जो कारखाने के मूल्य का लगभग तीन गुना होगा।

39. श्री रोहतगी ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि जिस कंपनी में अपीलकर्ता मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, उसने चालान में दिए गए वाहन के मूल्य के आधार पर मोटर वाहन प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए सड़क कर का भुगतान किया था। अपीलार्थी ने चालान की एक प्रति संलग्न की है जिससे पता चलता है कि विचाराधीन वाहन कंपनी द्वारा एस्टन मार्टिन ब्रुसेल्स से मेसर्स एम. एस. पी. एल. लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा 162,465,00 यूरो की कुल लागत पर खरीदा गया था, अपीलार्थी ने वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भी संलग्न किया है।यह बताया गया है कि पंजीकरण के लिए आवेदन में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई थी।

40. अपील का विरोध करते हुए, कर्नाटक राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री सुभ्रांशु पाधी ने शिकायत में आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया।श्री पाधी ने कहा कि राज्य को करोड़ों रुपये के राजस्व की धोखाधड़ी करने के लिए एक रैकेट चलाया जा रहा था।श्री पाधी ने कहा कि इस न्यायालय को कार्यवाही को रद्द नहीं करना चाहिए।

41. श्री पाधी ने अपीलार्थी द्वारा उद्धृत उच्च न्यायालय के निर्णयों, अर्थात् एस. वी. के मामलों में निर्णयों/आदेशों में अंतर करने का प्रयास किया।

नंदराजू **(**सुप्रा**),** एस**.** राजेंद्रन **(**सुप्रा**)** और के**.** जे**.** कुरुविला **(**सुप्रा**)**।

श्री पाधी ने बताया कि एस. राजेंद्रन (ऊपर) और के. जे. कुरुविला (ऊपर) के मामलों में, जहां उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था, घाटे के कर के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर निजी शिकायत दर्ज होने से पहले घाटे के कर का भी भुगतान किया गया था।

42. केवल यह तथ्य कि मांग नोटिस जारी किया गया हो सकता है और निजी शिकायत की स्थापना से पहले अलग-अलग कर का भुगतान किया गया हो, हमारे विचार में महत्वहीन है।

या तो आरोप राज्य के राजस्व को धोखा देने के अपराध का खुलासा करते हैं या राज्य के राजस्व को धोखा देने के अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।सवाल यह है कि क्या अभिलेख की सामग्री इन अपीलार्थीगण की ओर से किसी आपराधिक कृत्य का खुलासा करती है।इसका जवाब नकारात्मक ही हो सकता है।

43. एस. वी. नंदराजू और अन्य (उपरोक्त) के मामले में 19 दिसंबर, 2019 का निर्णय अलग है और इस मामले के तथ्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।अभियुक्त मोटर वाहन विभाग के अधिकारी और/या कर्मचारी थे, जिनमें से कुछ शिकायत दर्ज होने से बहुत पहले ही सेवानिवृत्त हो गए थे।कुछ मामलों में, कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा पी. सी. अधिनियम की धारा 17 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को अस्वीकार कर दिया गया था।

44. श्री रोहतगी ने बलपूर्वक तर्क दिया कि कंपनी ने विचाराधीन कार के वास्तविक चालान मूल्य के आधार पर मोटर वाहन प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए पूर्ण सड़क कर का भुगतान किया था।आगे कोई राशि देय नहीं थी।हालांकि, जब आरटीओ ने रुपये की मांग का नोटिस उठाया। 2012 में कंपनी ने कोई विवाद नहीं उठाया क्योंकि दावा की गई राशि कंपनी के लिए एक छोटी राशि थी, जिसका कारोबार करोड़ों रुपये का था।

जी.

एच.

989

श्री नरेंद्र कुमार ए. बालदोता बनाम कर्नाटक राज्य [इंदिरा बनर्जी, जे.]

ए.

45. इस न्यायालय का विचार है कि अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही गलत धारणा वाली, परेशान करने वाली, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाली है और बिना उचित विवेक के शुरू की गई है।इसलिए इस अपील की अनुमति दी जाती है।निम्नलिखित न्यायालय में इन अपीलार्थीगण के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

जी.

एच.